<u>न्यायालय द्वितीय जिला न्यायाधीश, बागली, जिला–देवास (म.प्र.)</u>
<u>(समक्ष – एस.आर. सीनम)</u>

हिन्दु विवाह प्र.क्रमांक–43/2023
फाईलिंग नंबर–241/2023
फाईलिंग दिनांक–26.08.2023
संस्थित दिनांक–01.09.2023
<u>सी.एन.आर. क्रमांक.–एम.पी.4107–002044–2023</u>

अशोक आत्मज मांगीलाल प्रजापत, आयु लगभग– 37 वर्ष, निवासी– ग्राम चापड़ा, तहसील व थाना– बागली, जिला– देवास (म.प्र.)	– – **आवेदक/प्रार्थी**
<u>विरूद्ध</u>	
श्रीमती हीरामणी पति अशोक प्रजापत, आयु लगभग– 35 वर्ष, निवासी– ग्राम चापड़ा, तहसील व थाना– बागली, जिला– देवास (म.प्र.) वर्तमान पता– ग्राम सिद्धीगंज, तहसील– आष्टा, जिला– सीहोर (म.प्र.)	**अनावेदिका/प्रतिप्रार्थी**

आवेदक/प्रार्थी द्वारा	:–	श्रीमती आशा वर्मा, अधिवक्ता।
अनावेदिका/प्रतिप्रार्थी द्वारा	:–	श्री सतीश गुर्जर, अधिवक्ता।

//निर्णय//
<u>(आज दिनांक 26.09.2025 को घोषित किया गया)</u>

01. प्रार्थी/आवेदक अशोक ने धारा 13 (1) हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विवाह–विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु

आवेदन प्रस्तुत किया है।

02. आवेदक का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी का विवाह हिन्दु रीति–रिवाजानुसार 14 वर्ष पूर्व दिनांक 05.06.2014 को सम्पन्न हुआ था। उक्त विवाह से उन्हें दो संताने पुत्र अनमोल, आयु लगभग– 07 वर्ष तथा पुत्री तनु आयु लगभग –05 वर्ष उत्पन्न हुये हैं, जो वर्तमान में प्रतिप्रार्थी के साथ में निवासरत हैं। विवाह के पश्चात् से ही प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी को परेशान करना प्रारंभ कर दिया एवं एक–दो दिन में ही ससुराल रहकर मायके चली जाती थी और प्रार्थी को मायके रहने के लिये कहती थी। प्रार्थी, प्रतिप्रार्थी को बमुश्किल समझा–बुझाकर लाता था तथा प्रतिप्रार्थी ससुराल आकर प्रार्थी तथा सास–ससुर को जानबूझकर परेशान करती थी और लड़ाई–झगड़ा करके, फिर से मायके चली जाती व अलग करने की जिद करती थी तथा प्रतिप्रार्थी, प्रार्थी से कहती थी कि वह उसके माता–पिता के साथ नहीं रहना चाहती तब प्रार्थी, प्रतिप्रार्थी के साथ इंदौर में जाकर किराये का मकान लेकर रहने लगा था, वहां से भी प्रतिप्रार्थी बिना बताये कभी भी अपने मायके चली जाती थी और प्रार्थी द्वारा पूछने पर उससे लड़ाई–झगड़ा करती थी और यह भी कहती थी कि अब तुम मेरे साथ मेरे मायके में ही रहो, तब प्रार्थी प्रतिप्रार्थी की जिद पूरी करने हेतु कुछ समय के लिये ससुराल में जाकर रहा था। प्रतिप्रार्थी, प्रार्थी को मजदूरी व बकरियां चराने के लिये भेजती थी, जैसे–तैसे प्रार्थी कुछ समय रहकर वापस अपने मूल गांव चापड़ा आया था। प्रतिप्रार्थी कम पढ़ी–लिखी थी, इसलिये प्रार्थी ने उसे मजदूरी कार्य करके पढ़ाई–लिखाई करवाकर 12वीं तथा बी.ए. की परीक्षा पास करवाई थी। प्रतिप्रार्थी को प्रार्थी के साथ रहने में शर्म आती थी और वह प्रार्थी से कहती थी वह पढ़ी–लिखी है और तुम अनपढ़, मजदूरी करते हो, इसलिये वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वह लगभग 5–6 सालों से ही

अपने मायके में अपनी मर्जी से निवासरत है।

03. आवेदक का आवेदन आगे इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी कई महीनों से चुप–चाप आकर प्रार्थी की आई.डी. में अपना नाम जुडवाकर तथा प्रार्थी के माता–पिता द्वारा जो राशन लिया जाता है, उसमें अपना नाम जुड़वाकर संपूर्ण राशन वहीं से अपने मायके से लेने लगी, जब प्रार्थी के के मात–पिता राशन लेने जाते थे, तब राशन की दुकान वाला राशन देने से मना कर देता था और कहता था कि यह राशन निकाल लिया गया है। प्रतिप्रार्थी, प्रार्थी के साथ अंतिम बार ग्राम चापड़ा में रहे थे। प्रतिप्रार्थी ने कभी भी प्रार्थी के साथ अच्छा व्यवहार व बर्ताव नहीं किया और हमेशा ही प्रार्थी के साथ प्रतिप्रार्थी ने लड़ाई–झगड़ा कर मानसिक प्रताड़ना देते हुये उसे शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया। प्रार्थी का प्रतिप्रार्थी के साथ भावी भविष्य व दाम्पत्य निर्वहन अब संभव नहीं है। प्रतिप्रार्थी, प्रार्थी से लगभग 5–6 वर्षों से पृथक निवास कर रही है। प्रार्थी द्वारा प्रतिप्रार्थी को अपने साथ रखने का हर संभव प्रयास किया, परंतु वह फिर भी उसके साथ नहीं आयी। इन सभी कारणों से प्रार्थी का प्रतिप्रार्थिया के साथ रहना संभव नहीं है। अतः विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान करने का निवेदन किया है।

04. प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 13(1) हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 को असत्य, निराधार बताते हुये अपने जवाब में व्यक्त किया कि प्रार्थी से उसका विवाह दिनांक 05.06.2014 को हिन्दु रीति–रिवाजनुसार संपन्न हुआ था। उक्त विवाह के पचात उभयपक्ष के सहवास से उन्हें दो संताने पुत्र अनमोल, आयु 07 वर्ष एवं पुत्री तनु, आयु 05 वर्ष 06 माह उत्पन्न हुये थे। प्रतिप्रार्थी प्रार्थी की पत्नी होकर विवाह के 14 दिन बाद से ही प्रार्थी द्वारा दहेज की मांग प्रारंभ कर दी थी तथा प्रतिप्रार्थी की ननद आशा, नंदोई जयप्रकाश, सास अवंताबाई,

ससुर मांगीलाल, जेठ जीवन, जेठानी नीराबाई द्वारा प्रतिप्रार्थी को दहेज हेतु तानाकशी करने लगे थे एवं दहेज को लेकर अपमानित करने लगे एवं प्रतिप्रार्थी के साथ प्रार्थी व उसके परिजनों ने मारपीट भी की, जिसके पश्चात वर्ष 2015 में पुत्र अनमोल का जन्म प्रतिप्रार्थी के मायके में सरकारी अस्पताल में हुआ था तथा डिलेवरी का संपूर्ण खर्च, दवाई आदि का व्यय प्रतिप्रार्थी के परिजनों ने उठाया एवं प्रार्थी एवं उसके परिजनों को मोबाईल फोन लगाया तो वह मिलने भी नहीं आये। डिलेवरी के 24 दिनों पश्चात प्रार्थी, प्रतिप्रार्थी के मायके सिद्धीगंज आया और उससे विवाद किया। तत्पश्चात पुत्र अनमोल डेढ़ वर्ष का होने पर प्रार्थी व उसके काका राधेश्याम के परिजनों ने समझाया और प्रतिप्रार्थी को अपने साथ इंदौर लेकर गये थे, जहां प्रतिप्रार्थी 34 दिन प्रार्थी के साथ रही उसके पश्चात प्रार्थी द्वारा प्रतिप्रार्थी को कहा कि तेरे मायके से फोन आया है और मिलने बुलाया है। उसके बाद प्रार्थी, प्रतिप्रार्थी व उसके पुत्र अनमोल को सिद्धीगंज में घर के बाहर छोड़कर चुपचाप चला गया था।

05. प्रतिप्रार्थी ने आगे अपने जवाब में यह भी व्यक्त किया कि वर्ष 2017 में प्रतिप्रार्थी को पुत्री अवनी का जन्म सिद्धीगंज के सरकारी अस्पताल में हुआ, जिसका भी संपूर्ण खर्च प्रतिप्रार्थी के परिजनों ने वहन किया था और प्रार्थी व उसके परिजनों को सूचना देने के बाद भी कोई मिलने, देखने नहीं आया तथा पुत्री अवनी का नाम लाड़ली लक्ष्मी योजना अन्तर्गत जुड़वाने हेतु ग्राम चापड़ा अपने ससुराल आई तो योजना अन्तर्गत नाम नहीं जोड़ने दिया और अपने साथ प्रतिप्रार्थी व उसकी संतानों को रखने हेतु तैयार नहीं हुये एवं प्रतिप्रार्थी को घर से बाहर निकाल दिया। प्रतिप्रार्थी वर्ममान में अपने पति व अन्य ससुराल के परिजनों द्वारा घर से निकाले जाने के कारण पृथक अपने मायके में अपने दोनों बच्चों के साथ वर्ष 2017 से अर्थात लगभग 06 वर्ष से निवास कर रही

है। प्रतिप्रार्थी के पति अर्थात प्रार्थी के द्वारा अपनी पत्नी एवं संतानों को पृथक निवास, संतानों के भरण–पोषण आदि की कोई व्यवस्था नहीं की है, प्रतिप्रार्थी व उसकी संतानों को अकेला, बेसहारा प्रार्थी द्वारा छोड दिया है। प्रतिप्रार्थी अपना वैवाहिक जीवन खराब नहीं करना चाहती थी इस कारण प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थी व उसके परिजनों के विरूद्ध भरण–पोषण संबंधी एवं पुलिस थाने में योग्य कार्यवाही हेतु कोई प्रकरण नहीं प्रस्तुत किया था। प्रतिप्रार्थी कोई काम–काज नहीं करती है तथा प्रतिप्रार्थी के पास अपने व अपनी संतानों के भरण–पोषण का कोई साधन सहारा नहीं है। यदि प्रार्थी की विवाह विच्छेद याचिका स्वीकार की गयी तो उभयपक्ष की संतानों का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा और प्रार्थी अन्यत्र लालचवश नया विवाह कर लेगा और संतानों का वर्तमान व भविष्य खराब हो जायेगा। प्रार्थी अकारण ही प्रतिप्रार्थी को परेशान कर रहा है तथा प्रतिप्रार्थी को अपने साथ पत्नी के रूप में रखना नहीं चाहता है। अतः प्रतिप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार वादप्रश्न विरचित किये गये हैं, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित हैं :–

क्रं.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या प्रतिप्रार्थी लगातार दो वर्षों से भी अधिक समय से प्रार्थी से पृथक निवास कर रही है ?	**''अप्रमाणित''**
02.	क्या प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी के प्रति क्रूरता कारित कर, उसका बिना किसी उचित कारण के परित्याग कर दिया है ?	**''अप्रमाणित''**

03.	सहायता एवं वाद व्यय ?	**पैरा नम्बर 17 के अनुसार।**

विवेचना एवं निष्कर्ष :–

वादप्रश्न कमांक 01 एवं 02 के संबंध में :–

07. दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने के कारण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक ने, अनावेदिका को अपने साथ रखने का संपूर्ण प्रयास किया, लेकिन करीब 07–08 वर्षों से अनावेदिका, आवेदक से पृथक निवास कर रही है। हालांकि अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अनावेदिका आज भी अपने दोनों बच्चों सहित आवेदक के साथ रहने के लिये तत्पर है। उक्त समाग्री के आलोक में आवेदक अशोक आ.सा.–01 के कथन देखें तो उसने अपने कथनों में बताया है कि प्रतिप्रार्थी हीरामणी उसकी पत्नी है। उनका विवाह आष्टा के सामूहिक विवाह सम्मेलन में दिनांक 05.06.2014 को हुआ था। प्रार्थी द्वारा उक्त विवाह के संबंध में विवाह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रपी.–01 है तथा उसकी प्रतिलिपी प्रपी.–01 सी है, उसके द्वारा स्वयं के आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया है जो प्रपी.–02 है तथा उसकी प्रतिलिपी प्रपी.–02सी है। प्रतिप्रार्थी को विवाह के पश्चात जब घर लाये तो वह दो दिन रही, उसके बाद उसके मायके चली गई थी, उसके बाद प्रतिप्रार्थी तीन महीने बाद माता पूजन के लिये आयी थी, तब भी दो–तीन दिन ही रही और वापस अपने मायके चली गई। उसके बाद एक बार गोद भराई के समय आयी थी, तब भी केवल दो–तीन दिन

ही रही थी। इस प्रकार प्रतिप्रार्थी विवाह के पश्चात से ही अधिकतर समय अपने मायके में ही रही है। प्रतिप्रार्थी जब भी आती थी, तभी आवेदक तथा उसके माता–पिता को झूठे केस में फंसाने की धमकी देती थी और प्रार्थी को उसके माता–पिता से अलग रहने को कहती थी। प्रतिप्रार्थी के जिद करने पर प्रार्थी उसे लेकर इंदौर चला गया था और वहां पर किराये का कमरा लेकर 02 साल तक रहा। लेकिन इंदौर में भी प्रतिप्रार्थी उसके साथ केवल 15 दिन रही और पुनः मायके चली गयी थी और वापस नहीं आयी।

09. आवेदक अशोक आ.सा.–01 का आगे यह भी कथन है कि विवाह के पश्चात उन्हें दो बच्चे अनमोल और तनु उत्पन्न हुये थे, जो वर्तमान में प्रतिप्रार्थीया के पास ही हैं। प्रतिप्रार्थीया उसे उसके बच्चों से भी नहीं मिलने देती है वह प्रतिप्रार्थी को रहने के लिये कई बार गया, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। वास्तव में अनावेदिका उसके मायके सिद्धीगंज में एनजीओ में कई वर्षों से कार्य कर रही है, जिससे वह अपना व अपने मायके वालों का भरण–पोषण एवं उसके मायके वालों की देख–रेख कर रही है। जबकि आवेदक मजदूरी करके अपना भरण–पोषण कर रहा है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रतिप्रार्थी को कई बार बुलाने पर भी नहीं आई तथा प्रतिप्रार्थी लगभग 7–8 साल से अपने मायके में ही निवास कर रही है। अब प्रार्थी तथा प्रतिप्रार्थी का साथ में रहना संभव नहीं है।

10. आवेदक की ओर से समर्थन में साक्षी कैलाश आ.सा.–02 के कथन कराये है, जिसका कहना है कि अशोक उसकी दुकान पर करीब 10 वर्षों से कार्य कर रहा था, वह किसी से लड़ाई–झगड़ा भी नहीं करता है। विवाह के बाद से ही अनावेदिका हीरामणी बार–बार अपने मायके चली जाती है। दो–तीन बार उसे लेने के

लिये आवेदक के फूफाजी, मौसाजी, जीजाजी व अन्य लोग गये थे, किंतु वह आवेदक के यहां आकर रहने के लिये तत्पर नहीं है। वह खुद भी दो वर्ष पहले आवेदक के परिवार के लोगों के साथ हीरामणी को लेने के लिये गया था, लेकिन उसने आने से मना कर दिया था। वैसे उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि वह स्वयं अनावेदिका को लेने नहीं गया था। लेकिन इस संबंध में आवेदक के कथन ही महत्वपूर्ण हैं।

11. विवाह के संबंध में कोई खण्डनकारी सामग्री नहीं है। आवेदक अशोक आ.सा.–01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 05 में भी यह स्वीकार किया कि उसका विवाह वर्ष 2014 में अनावेदिका के साथ राजी मर्जी से हुआ था और दोनों के संबंध से दो बच्चों का जन्म हुआ है। शादी के एक वर्ष तक कोई विवाद नहीं होना बताया है। अन्य सामग्री देखें तो साक्षी ने मुख्यपरीक्षण में व्यक्त किया कि वह अनावेदिका को कई बार लेने गया, किंतु अनावेदिका आने के लिये तैयार नहीं है। स्वतंत्र साक्षी कैलाश आ.सा.–02 ने भी इसी प्रकार के कथन किये हैं, लेकिन उक्त सामग्री के आलोक में हीरामणी अना.सा.–01 का कथन देखें तो उसका कहना है कि आवेदक अशोक के साथ उसका विवाह जाति रीति रिवाजानुसार हुआ था। उनके दो बच्चे अनमोल, आयु लगभग 10 एवं तनु, आयु लगभग 08 वर्ष हैं। उसके पति घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और किसी से बातचीत भी नहीं करने देते थे। डिलेवरी के समय भी अनावेदिका का उसके मायके भिजवा दिया था। अन्य सामग्री के संबंध में साक्षी का कहना है कि आवेदक स्वयं ने उसे कहा कि मायके से फोन आया है, वहां जाना है, तो आवेदक स्वयं दोनों बच्चों स्थिति सिद्धीगंज रोड पर छोड़कर चला गया था व कहता था कि अनावेदिका उसे अच्छी नहीं लगती है।

12. अनावेदिका ने पैरा 06 में स्पष्ट रूप से बताया है कि आवेदक के

जीजाजी व अन्य लोग शादी तुडवाने के लिये उनके पास आये थे, पंचायत बिठाई थी, उसमें परिवार वालों के समक्ष उसने यह कहा कि वह आवेदक के घर जाना चाहती है। वह आज भी दोनों बच्चों सहित आवेदक के यहां जाने के लिये तैयार है। पंचायत में जब अनावेदिका ने, आवेदक के यहां जाने का कहा तो आवेदक के जीजाजी जयप्रकाश ने यह कहते हुये बात टाल दी कि जो भी होगा कोर्ट से ही होगा। उक्त तथ्य के आलोक में अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अनावेदिका आज भी आवेदक के साथ रहने के लिये तैयार है, किंतु आवेदक स्वयं ही उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता है।

13. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना है कि अनावेदिका जान–बूझकर यह बता रही है कि वह आवेदक के साथ रहने के लिये तैयार है, जबकि करीब 7–8 वर्षों से उसने आवेदक का परित्याग कर रखा है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत नवीन कोहली विरूद्ध नीतू कोहली, 2006 (4) एससीसी, पेज 558** प्रस्तुत किया है तथा इसी संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का **न्यायदृष्टांत नवोदित मिश्रा विरूद्ध श्रीमती रिचा मिश्रा प्रकरण कमांक एफ.ए.एम. नम्बर 24/2018 आदेश दिनांक 25.02.2022** भी पेश किया है, लेकिन उक्त प्रकरणों की परिस्थिति भिन्न रही है। वर्तमान प्रकरण की परिस्थिति देखें तो अनावेदिका आज भी आवेदक के साथ रहने के लिये तैयार है। हालांकि अनावेदिका हीरामणी अना.सा.–01 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार अवश्य किया कि विवाह के समय उसने 12वीं तक की पढ़ी रखी थी और विवाह के बाद स्नातक डिग्री तक पढ़ाई की है। लेकिन उसने इस बात से इंकार किया कि उक्त पढ़ाई का खर्च आवेदक ने ही वहन किया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा 12 में साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि जान–बूझकर उसने अपने पति को छोड़ रखा है तथा दाम्पत्य सुखों से वंचित कर रखा है। हालांकि यह

स्वीकार अवश्य किया कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय में प्रकरण पेश करने के बाद उसने आष्टा न्यायालय में भरण–पोषण का प्रकरण प्रस्तुत किया है, किंतु उक्त आधार क्रूरता व बिना किसी उचित कारण पृथक रहने का नहीं माना जा सकता है।

14. विवाह विच्छेद के संबंध में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) का परिशीलन करें तो उसमें उपधारा 1(i-क) में बताया है कि उक्त प्रावधान के अन्तर्गत विवाह विच्छेद के लिये सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया है तथा उपधारा 1(i-ख) में स्पष्ट किया है कि दूसरे पक्षकार ने आवेदन प्रस्तुति के करीब दो वर्ष के निरंतर कालावधि से अर्जीदार को अभित्यक्त कर रखा है। सर्वप्रथम यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि प्रतिप्रार्थीया ने प्रार्थी के साथ क्रूरता कारित की है, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज या स्पष्ट साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। दूसरा तथ्य यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि प्रतिप्रार्थीया ने दो वर्ष से प्रार्थी को त्यक्त कर रखा है। किस दिनांक को प्रतिप्रार्थीया अपने मायके गयी और किस दिनांक से उसे त्यक्त किया, ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। एक निश्चित दिनांक भी आवेदक की ओर से नहीं बतायी गयी है। ऐसी स्थिति में आवेदक को यह स्पष्ट करना चाहिये कि प्रतिप्रार्थीया द्वारा किस प्रकार उसे मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है और किस दिनांक से उसे त्यक्त कर रखा है। जबकि अनावेदिका ने स्पष्ट रूप से बताया है कि यदि आवेदक न्यायालय से भी ले जाने के लिये तैयार है तो वह दोनों बच्चों सहित उसके साथ जाने के लिये तैयार है, तब अनावेदिका ने आवेदक को बिना किसी कारण त्यक्त कर रखा है, यह नहीं माना जा सकता।

15. इस संबंध में **न्यायदृष्टांत डॉक्टर निर्मलसिंह पानेसर विरूद्ध परमजीत कौर उर्फ अजिंदर कौर पानेसर 2024 (1) एमपीएलजे पेज 20 एससी** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि विवाह विच्छेद चाहने वाले व्यक्ति पर धारा 13 1(i-क) व धारा 13 1(i-ख) के तथ्य को प्रमाणित करने का भार रहता है। उसे पृथक रहने के तथ्य, विरोध पूर्ण भावना, उसकी सहमति का अभाव एवं उसके ऐसे आचरण का अभाव जो अभित्यजन करने वाले पक्ष को वैवाहिक निवास के त्यागने का युक्तियुक्त कारण रहा हो, को प्रमाणित करना होगा और यह प्रत्येक प्रकरण की परिस्थिति पर निर्भर करता है।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **सिराज मोहम्मद खान विरूद्ध हफीजुन्निशा यासीन खान (1981) 4 एससीसी पेज 250** एवं **सावित्री पाण्डे विरूद्ध प्रेमचंद पाण्डे (2002) 2 एससीसी पेज 73** में स्पष्ट किया है कि क्रूरता संबंधी सामग्री प्रत्येक प्रकरण में आयी साक्ष्य के आधार पर निराकृत की जाना चाहिये। उक्त समस्त सामग्री देखें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि क्रूरता का एक निश्चित मापदण्ड नहीं है। हर प्रकरण की परिस्थिति पर निर्भर करता है। वर्तमान प्रकरण में तो प्रार्थी ने ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं किया कि किस दिनांक को प्रतिप्रार्थीया ने उसके साथ, किस कारण से रहने से इंकार कर दिया और किस दिनांक से पृथक निवास कर रही है। हालांकि 7–8 वर्ष से अलग रहना बताया है, लेकिन अनावेदिका ने आज भी आवेदक के साथ रहने के लिये तत्पर होना बताया है, जब अनावेदिका, आवेदक के साथ रहने के लिये तत्पर है, तो प्रस्तुत साक्ष्य अनुसार, प्रार्थी द्वारा हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 13 1(i-क) व धारा 13 1(i-ख) के तथ्य प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता। अतः प्रार्थी विवाह विच्छेद का जयपत्र प्राप्त करने का

अधिकारी नहीं है। **तदनुसार वादप्रश्न कमांक–01 एवं 02** का निराकरण किया जाता है।

वादप्रश्न कमांक 03 के संबंध में :–

17. परिणामतः प्रार्थी द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 1955 की धारा 13(1) के अंतर्गत प्रस्तुत याचिका **अस्वीकार** करते हुए निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है :–

01. प्रार्थी, प्रतिप्रार्थी के विरूद्ध आवेदन अनुसार समस्त तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत विवाह विच्छेद आवेदन अन्तर्गत धारा 13 (1) हिन्दु विवाह अधिनियम **निरस्त** किया जाता है।

02. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रार्थी अपना व्यय स्वयं वहन करेगा।

03. अभिभाषक शुल्क सूची अनुसार या प्रमाणित होने पर प्रमाण पत्र अनुसार, जो भी न्यून हो, नियमानुसार लगाया जावे।

''तद्‌ानुसार जयपत्र की रचना की जावे''।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

एस.आर. सीनम
द्वितीय जिला न्यायाधीश
तहसील बागली जिला देवास (म.प्र.)

एस.आर. सीनम
द्वितीय जिला न्यायाधीश
तहसील बागली जिला देवास (म.प्र.)
स्थान – बागली, दिनांक – 26.09.2025

SUKHRAM SEENAM

Digitally signed by SUKHRAM SEENAM
Date: 2025.09.26 18:39:13 +0300